संख्या-2/2015/8/12-6-2015-10/2011

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक,
कृषि भवन, उ0प्र0,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-6 लखनऊ:: दिनांक: 13 जनवरी, 2015

विषय:- "किसान दिवस" आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-477/12-6-14-10/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं समस्त मण्डलायुक्तों को पृष्ठांकित पत्र संख्या- 472/12-6-2014-10/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 (प्रति संलग्न) एवं संलग्न शासनादेश संख्या- 28/12-6-2014-10/2011, दिनांक 12 फरवरी, 2014 (प्रति संलग्न) जिसमें प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "किसान दिवस" कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारण किया गया था।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अत: उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप भली-भॉति किसान दिवस मनाये जाने की कार्यवाई कराने का कष्ट करते हुए कृत कार्यवाई की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक- यथोपरि</u>।

भवदीय,

दिनेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-472-12-6-2014-10/2011

प्रेषक,

वी0 एन0 गर्ग,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-6 लखनऊ:: दिनांक:: 31 अक्टूबर, 2014

विषय:- "किसान दिवस" आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/12-6-2014-10/2011, दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "किसान दिवस" कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारण किया गया था।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि किसान दिवस का कार्यक्रम निर्धारित स्वरूप के अनुरूप भली-भॉति सम्पन्न नहीं कराया जा रहा है। अतएव अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप भली-भॉति किसान दिवस मनाये जाने की कार्यवाई कराने का कष्ट करें तथा प्रदेश के बाढ़ एवं सूखा प्रभावित जनपदों में

http://shasanadesh.up.nic.in

फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने हेतु सघन प्रयास कराये जायें।

अत: अनुरोध है कि कृपया तद्-नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

वी0 एन0 गर्ग
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-472(1)/12-6-2014, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।

आज्ञा से,

दिनेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28-12-6-2014-10/2011

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-6 लखनऊ:: दिनांक:: 12 फरवरी, 2014

विषय:- "किसान दिवस" आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "किसान दिवस" जनपद स्तर पर मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- किसान दिवस आयोजित किये जाने का स्वरूप निर्धारण निम्नवत् हैं:-

1. प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान बैठक जनपद स्तर पर आहूत करायी जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. किसान बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े हर विभाग के समस्त अधिकारी, जिसमें सिंचाई, ऊर्जा एवं कृषि उत्पादन शाखा से जुड़े विभाग जैसे- कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, गन्ना एवं रेशम विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, लीडबैंक मैनेजर तथा इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।
3. बैठक में जनपद के कृषक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।
4. प्रगतिशील कृषकों को भी आमंत्रित किया जाय, ताकि अपने-अपने गॉवों की समस्याओं को बैठक में रख सकें, जिससे समस्याओं का समाधान मिलने के उपरान्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर सकें।
5. समस्याओं के निदान के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को निम्न जानकारियॉ भी उपलब्ध करायी जायें:-
    1- एकीकृत रूप से कृषि एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी।
    2. किसान-वैज्ञानिक-अधिकारी संवाद के बारे में जानकारी।
    3. किसानों के लाभ के लिए संचालित योजनाओं में दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी।

http://upagrisnet.up.nic.in

4. किसानों को अनुदान पर कृषि निवेश एवं अन्य उपकरणों की जानकारी।
5. संचालित योजनाओं के लाभार्थियों के चयन प्रक्रियॉं संबंधी जानकारी।
6. किसानों को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लाभों से अवगत कराना।
7. जनपद में आयोजित की जा रही कृषि प्रदर्शनियों/ मेलों के आयोजन की जानकारी।

अत: अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

संख्या-28(1)/12-6-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

8- कृषि निदेशक, उत्तर पदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।

आज्ञा से,

प्रेम नारायण
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in